भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र,दतिया, म.प्र.,४७५६६१
Research Centre-Datia, MP, 475661

क्रम स. 276/2/(8)/2021-22/भंडार/दतिया   दिनाँक 16/09/2021

अधिसूचना

एतद द्वारा समस्त इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि इस केंद्र ने अपने अधीनस्थ प्रक्षेत्र के **"आंवला के फलों (पेड़ों की संख्या 244) की खुली नीलामी"** करने का निश्चय किया है । यह नीलामी **दिनांक 05/10/2021 (दिन मंगलवार) को 11.00 बजे दिन** में होगी । इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व प्रक्षेत्र का निरीक्षण कर सकते है ।

नीलामी की शर्तें :-

1. बोलीदाता को Covid-19 के नियमों का पालन करना होगा एवं मास्क लगाकर आने पर ही अनुसन्धान केंद्र में प्रवेश दिया जायगा ।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) नकद अमानत के तौर पर नीलामी से पहले कार्यालय में जमा करने होंगे जो अधिकतम बोलीदाता एवं द्वितीय बोलीदाता को छोड़कर अन्य को उसी दिन वापिस कर दी जाएगी ।
3. अधिकतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के तुरंत बाद नीलामी की कुल रकम का आधा 50 प्रतिशत भाग कार्यालय में तुरंत जमा करना होगा । अन्यथा अमानत की राशि जप्त कर ली जायगी । शेष रकम (पूर्ण) आवला तोड़ने से पहले जमा करनी होगी ।
4. केन्द्राध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से किसी भी अधिकतम बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर सकते है अर्थात बोली तभी मान्य होगी जब उसे केन्द्राध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत कर दिया जायेगा ।
5. कार्य करते समय प्रक्षेत्र की संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए । यदि उस अवधि में ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा प्रक्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान किया जाता है तो उसके लिए ठेकेदार के खिलाफ केन्द्राध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वह मान्य होगा तथात उसका पालन न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
6. अधिकतम बोली की कुल रकम का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा । जो ठेका समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा ।
7. आंवले तोड़ने की अंतिम तिथि 15/01/2022 है । किसी भी स्थिति में आंवले तोड़ने की अंतिम तिथि में छूट प्रदान नहीं की जायगी ।
8. आंवले के फलों की तुड़ाई का कार्य केवल कार्य दिवस में ही होगा । रविवार या अन्य अवकाशों में अनुमति नहीं दी जाएगी
9. किसी भी स्थिति में ठेकेदार या अन्य मजदूरों को फार्म के मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य रस्ते से आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
10. किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान पर इस केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
11. अन्य शर्तें नीलामी के समय बताई जाएगी ।
12. आंवले के फलों की तुड़ाई का कार्य प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/तकनीकी अधिकारी/तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में करना होगा ।
13. फलों को गेट बाहर ले जाने से पूर्व OIC Farm समक्ष फलों का कुल वजन दर्ज कराना अनिवार्य होगा ।
14. बोली दाता के अतिरिक्त अन्य किसी को बोली कक्ष में बेठने की अनुमति नहीं होगी । बोली के दौरान किसी को प्रक्षेत्र भ्रमण/बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी ।
15. ठेका होने के बाद आंवले के पेड़ों का रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी ।

16/09/21
(भगवान दास कुशवाहा)
प्रभारी अधिकारी भण्डार

प्रतिलिपि

- सूचना पटल एवं केंद्र के मेन गेट भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया
- सहायक निदेशक (उद्यानिकी) दतिया को सूचनार्थ
- प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया